



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-आर.जे.-अ.-21022023-243773
CG-RJ-E-21022023-243773

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 758]
No. 758]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 21, 2023/फाल्गुन 2, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 21, 2023/PHALGUNA 2, 1944

रेलवे मंत्रालय
(उत्तर पश्चिम रेलवे)

अधिसूचना

जयपुर, 20 फरवरी, 2023

का.आ. 790(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 की धारा 2 के खंड (37क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिनियम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ (3) में उल्लिखित राज्य में उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में यथाउल्लिखित परियोजना को निम्नलिखित विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है।

सारणी
विशेष रेल परियोजना

क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1.	चुरू -रतनगढ़ (42.81 कि.मी.) दोहरीकरण परियोजना	राजस्थान

[फा. सं. उपरे/मुख्यालय/सं.& नि./443599200 भाग-2]

वेद प्रकाश, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS**(North Western Railway)****NOTIFICATION**

Jaipur, the 20th February, 2023

S.O. 790(E).—In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 of the Railways Act, 1989, the Central Government hereby notifies the following project as Special Railway Project, as mentioned in column (2) of the table below in the State mentioned in column (3) of the said table, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

TABLE**Special Railway Project**

S. No.	Name of Project	State/UT
(1)	(2)	(3)
1.	Churu-Ratangarh Doubling Project (42.81 Km)	Rajasthan

[F. No. NWR/HQ/S&C/443599200Vol-2]

VED PRAKASH, Chief Administrative Officer (Construction)